शब्द–ब्रह्म
भारतीय भाषाओं की अंतर्राष्ट्रीय मासिक शोध पत्रिका
ISSN 2320 – 0871
17 सितम्बर 2013

वन्य जीव संरक्षण एवं नियंत्रण
(जैव-विविधता एवं ईको पर्यटन के संदर्भ में)

डा.अजय तिवारी
भूगोल विभाग,
शासकीय महाविद्यालय स्लीमनाबाद कटनी (म.प्र.)

शोध संक्षेप

प्रकृति ने पृथ्वी पर जीव की उत्पत्ति से लेकर आज तक जैव-विविधताओं की एक लम्बीं श्रृंखला तैयार की है तथा जैव विकास का अनोखा इतिहास रचा है । वन्य प्राणी पर्यावरण के अनिवार्य अंग है। जीवन व पर्यावरण के संतुलन को बनाये रखने के लिए वन्य-प्राणियों का अस्तित्व में रहना नितान्त आवश्यक है । किन्तु सिमटते प्राकृतिक परिवेश, अवैध शिकार, तीव्र औद्योगिकीकरण, खाल, मांस, हड्डी, दांत आदि की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय तस्करी की वजह से आज वन्य-प्राणियों के समक्ष अस्तित्व का खतरा उत्पन्न हो चुका है। विश्व सहित भारत में भी वन्य जीवों की कई जातियां विलुप्त हो चुकी है और कुछ जातियां विलुप्त होने की स्थिति में है। वन्य प्राणियों के महत्व को समझते हुये उनके संरक्षण के लिये सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किये गये हैं। परन्तु इसके साथ-साथ वन्य प्राणियों की महत्ता से जन साधारण को अधिक से अधिक परिचित कराकर उनकी रक्षा के लिए प्रेरित करना भी आवश्यक है। प्रस्तुत शोध पत्र में वन्य प्राणियों की स्थिति पर विचार किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत शोध-आलेख में भारत के जैव-विविधता के बदलते स्वरूप से होने वाले पर्यावरणीय संकट एवं वन्य जीवों की दुर्लभ प्रजातियों के संरक्षण और नियंत्रण पर प्रयास किया गया है, साथ ही दुर्लभ वन्य प्रजातियों से जुड़ी समस्याओं के लिए जन सहभागिता के द्वारा संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन की उपयोगिता

मानव को अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाओं के समय समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिससे वन्य-जीव की विशिष्टता प्रभावित हुई। इसके साथ ही वर्तमान में जैव-विविधता एवं पारिस्थितिकी का क्षय विकासकीय कार्यो की अत्यधिक वृद्धि के कारण उत्तरदायी माना जा रहा है। पर्यावरणीय समस्याओं को प्रायः एक ऐसी समस्या के रूप में चित्रण किया जाता है कि मानव एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को बनाने में असमर्थ रहा है जो नई तकनीकि को नियंत्रित कर सके। ये चुनौतियां आमतौर से उन लोगों के लिए समस्या मानी जाती है, जो अधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी को अपनाना चाहते है। संघटनात्मक संरचना के ऐसे समन्वय पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया कि लोग पर्यावरणीय दृष्टि से लाभप्रद कार्यो में भागीदारी करें। इससे यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि विकास से सम्बन्धित समस्याएँ केवल प्रौद्योगिकी की समस्याएँ नहीं है, बल्कि इसका और विस्तृत अर्थ है। इसलिए यह

उचित होगा कि वन्य प्राणी के विस्तार, पर्यावरण और संरक्षण के मध्य अन्तर्सम्बन्धों पर विचार-विमर्श किया जाए।

वन्य-जीव का इतिहास

विशिष्ट भौगोलिक भू-भागों, प्राकृतिक शरणस्थलियों तथा अनुकूलतम जलवायु के कारण भारत देश हमेशा से अनेक प्रकार के वन्य जीवों तथा प्रजातियों का स्थायी आवास रहा है। प्रकृति के प्रति प्रेम और आदर की भावना भारतीय संस्कृति की एक मौलिक विशेषता रही है। देश की प्राचीनतम सिन्धुघाटी की सभ्यता के अवशेषों से पता चलता है कि उस काल के मानव को वन्य-जीवों में विशेष अभिरूचि रही थी । कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी संरक्षित वनों का विस्तृत उल्लेख है तथा उन्हें अभयारण्य नाम से पुकारा जाता रहा है। सम्राट अशोक के पांचवे शिलालेख में भी वन और वन्य प्राणियों के संरक्षण का सन्देश दिया गया है। मुगलों के भारत आगमन से यहां शिकार की परम्परा बढ़ी और ब्रिटिश दौर में तो भारत शिकारियों की शिकारगाह बन गया। जंगलों की अंधाधुंध कटाई, औद्योगिकरण तथा गृह निर्माण से भी वन्य प्राणियों का विनाश तेजी से होता गया तथा उनके सम्मुख अस्तित्व का संकट मंडराने लगा। इन परिस्थितियों को देखकर प्रकृति प्रेमियों, संरक्षण वादियों तथा पर्यावरण वैज्ञानिकों ने वन्य जीव को बचाने एवं उनकी सुरक्षा तथा संवर्धन का आह्वान किया तथा अंग्रेजी सरकार को भारत में अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का सुझाव दिया, और यहीं से शुरू हुआ भारत में जैव-विविधता का संरक्षण।

जैव-विविधता : ईको पर्यटन

भारत जैव-विविधता की दृष्टि से बहुत अधिक सम्पन्न देश है। यहां के वन्य जीव विश्व में अद्वितीय पहचान बनाये हुये है। आवश्यकता इस बात की है कि वनों और उनके निवासियों को जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सुरक्षा प्रदान करें ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। पर्यटन की उपयोगिता जैसे-जैसे बदल रही है,पर्यटन के नये तरीकों की खोज होने लगी है। इको टूरिज्म यानी पारिस्थितिकी पर्यटन इसी क्रम में एक नई पर्यटन गतिविधि है। यह प्राकृतिक क्षेत्र में किया जाने वाला ऐसा जागरूक पर्यटन है जिसके तहत स्थानीय लोगों को कुछ आर्थिक लाभ तो हो ही साथ ही पर्यावरण संरक्षण भी किया जाय।

दुर्लभ वन्य जीव एवं उनका संरक्षण

भारत में स्तनधारी जन्तुओं की 350 प्रजातियाँ पायी जाती है । जिनमें 81 प्रजातियाँ संगटग्रस्त स्थिति में है । जिसमें बिल्ली परिवार की सभी प्रजातियाँ आज खतरे में है। भारतीय सिंह (पेंथरालियो पर्सिया), बाघ (पेथरा टाईग्रिस) और तेंदुआ (पेथरा पारडस) प्रमुख है। इनमें भारतीय सिंह जो एक समय अफगानिस्तान व खाड़ी देशों तक फैले हुये थे अब केवल गुजरात के गीर राष्ट्रीय उद्यान में सिमट कर रह गये है। बाघ की आठ एशियाई उप प्रजातियों में केवल भारतीय बाघ ही विशेष संरक्षण के प्रयासों द्वारा 4000 से अधिक संख्या में जीवित है। अपनी गति के लिए प्रसिद्ध चीता अंतिम बार 1952 में त्रिचूर (तमिलनाडु) के जंगल में देखा गया था। तेंदुआ भारत के जंगलों में बहुतायत में पाया जाने वाला प्राणी है। लेकिन खाल के लिए होने वाले अवैध

शिकार की वजह से इनकी संख्या भी कम होती जा रही है। दुर्गम हिमालय पर्वतीय क्षेत्रों में 4000 मीटर की ऊँचाई पर पाये जाने वाले हिम तेंदुए (स्नो लेपर्ड) को भी नहीं बख्शा है। छोटी बिल्लियों में भारतीय बिल्ली (फेलिस सिल्वेस्ट्रिस ओर्राटग्रे) और अपने सुन्दर फर के लिए प्रसिद्ध बाघ दशा या फिशिंग कैट जो कि असम, बंगाल के सुन्दरवन, उड़ीसा की चिल्का झील व केरल के कुछ क्षेत्र में पायी जाती है, अब इनकी संख्या भी नगण्य हो गयी है।

उत्तर पूर्वी हिमालय की तराई में पाया जाने वाला लाल पान्डा, ऊदविलाव (हांग-बेजर) एवं बिज्जू (हनी बेजर) वनों के कटाव व फर हेतु अवैध शिकार के कारण विलुप्त होने की कगार पर है। हिमालय के उत्तर पश्चिमी एवं मध्य क्षेत्र में काफी ऊंचाई पर पाया जाने वाला भूरा भालू तथा रीछ (स्लोश बीयर) जो कि सम्पूर्ण भारत के वनों में पाया जाता है, वनों की कटाई की वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है । कभी सम्पूर्ण भारत में पाया जाने वाला एक सींग गैड़ा लगातार शिकार किये जाने के कारण इनकी संख्या तेजी से घटती जा रही है और यह अब असम के काजीरंगा, पश्चिम बंगाल व नेपाल की तराई तक सिमट कर रह गया है।

बारह सिंगा हिरणों की विशेष प्रजाति स्वैप डियर जो पाकिस्तान, थाईलैण्ड, नेपाल तथा भारत में पायी जाती थी, जिसमें पाकिस्तान और थाईलैण्ड से विलुप्त हो चुकी है। भारत और नेपाल में भी अब यह संकट में है। हिरण परिवार के जन्तुओं में विशिष्ट स्थान रखने वाले कस्तूरी मृग (मस्क डियर) अपनी सुगंधित कस्तूरी की वजह से होने वाले शिकार के कारण विलुप्त होने की ओर अग्रसर है। थामिन मृग जिसे मणिपुर में संगाई हिरण कहा जाता है दूसरी सर्वाधिक संकटग्रस्त मृग प्रजाति है। इस दुर्लभ प्रजाति को बचाने के लिए विश्व के एक मात्र तैयार हुये राष्ट्रीय उद्यान केबुल लामजाओं राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना मणिपुर में की गयी है। हिरण की एक अन्य दुर्लभ व संकटग्रस्त प्रजाति हांगुल हिरण है जो कि वर्तमान में कश्मीर के दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान तक सीमित रह गयी है। जम्मू कश्मीर सरकार ने इनके संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट हांगुल प्रारम्भ किया है।

महिष परिवार की 21 प्रजातियों में से 14 संगटग्रस्त घोषित है इस वर्ग के विशिष्ट प्राणी भारतीय गौर (इंडियन बायसन) है जो अपने सफेद पैरों, मजबूत शरीर और शेर से भिड़ जाने की क्षमता के कारण पहचाना जाता है, वर्तमान समय में संगटग्रस्त स्थिति में है। मानव के निकट सम्बंधी लोरिस बन्दर, लंगूर और वनमानुष आदि की देश में कई दुर्लभ प्रजातियां पायी जाती है । पूर्व में इन्हें प्रायोगिक कार्यो के लिए अवैध रूप से विदेशों में भेजे जाने से इनका अस्तित्व संकट में पड़ गया था। नील गिरी वनों में पाया जाने वाला सिंह जैसी पूँछ वाला बंदर (मकाका सिलेवस) नीलगिरी लंगूर, त्रिपुरा का फेरिज पर्ण वानर तथा मैदानी जंगलों का टोपीवाला लंगूर संकटापन्न वानर नस्लों में आते है। भारत में पायी जाने वाली गिब्बन की एक मात्र प्रजाति छुलक गिब्बन भी संगटग्रस्त है। जलीय जीव में कछुए, घडियाल, मगर आदि की कई प्रजातियां जैसे चीमड़ कछुआ (लेदर बेक टर्टल) हरा समुद्री कछुआ आदि मांस तथा खाल

के लिये शिकार की बजह से संकटग्रस्त हो चुकी है।

भारत में वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास

वन्य प्राणियों की महत्ता को समझते हुए भारत में उनके संरक्षण के लिये विभिन्न प्रयास किये गये है। संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों ने भी वन्य जीवों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये कहा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संकटग्रस्त अधिसूचित जंतुओं के शिकार पर दण्ड का प्रावधान है। दुर्लभ वन्य जीवों के संरक्षण के लिए सरकार ने विभिन्न परियोजनायें भी बनायी है जिसमें सबसे सफल व प्रमुख बाघ परियोजना रही है। इसकी शुरूआत 1 अप्रैल 1973 से जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान से हुई जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। इस परियोजना के प्रारम्भ में 9 राज्यों में बाघ संरक्षित क्षेत्र घोषित किये गये। बाघ संरक्षित क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलाप तथा पशुओं की चराई प्रतिबंधित है। भारत सहित 12 देशों ने मिलकर "ग्लोबल टाइगर फोरम"का गठन किया है जिसका सचिवालय नई दिल्ली में है तथा भारत इसका अध्यक्ष है।

सिंह के संरक्षण के लिये गीर सिंह संरक्षण योजना बनायी गयी है। कस्तूरी मृग के संरक्षण के लिए केदारनाथ अभयारण्य में कस्तूरी मृग योजना प्रारम्भ की गयी है। राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य एवं शरणस्थलियां जैव विविधता के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। इनकी एक अलग परम्परा है तथा इनके लिए संविधान में कानून का प्रावधान है। फिर भी राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य में मनुष्यों की घुसपैठ और मवेशियों की चराई की समस्या बढ़ती ही जा रही है।

एक सर्वेक्षण के अनुसार 30 प्रतिशत राष्ट्रीय उद्यान और 70 प्रतिशत अभ्यारण्यों के भीतरी इलाकों में घुसपैठ हो चुकी है। कई राष्ट्रीय उद्यानों को तो आतंकवादी अपने छिपने का ठिकाना बनाए हुए है। असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान का एक बहुत बड़ा भू-भाग वर्षो से बोड़ो और उल्फा उग्रवादियों के कब्जे मे है और न जाने कितने वन्य प्राणियों की हत्या इनके हाथों हो चुकी है और लगभग यही हाल कश्मीर के दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान का है जहां हांगुल परियोजनाएं चलाई गयी है।

निष्कर्ष

वन्य प्राणियों के संरक्षण की अनिवार्य शर्त है उनके प्राकृतिक वास पर स्थल अर्थात वनों का सुरक्षित रहना। भारतीय वन नीति के अनुसार देश की कम से कम 23 प्रतिशत भूमि पर वन क्षेत्र होना अनिवार्य है। परन्तु यह प्रतिशत लगातार गिरता जा रहा है । वर्तमान समय में भारत में केवल 18-20 प्रतिशत भाग पर ही वन क्षेत्र हैं अतः वन क्षेत्रों के संरक्षण व विकास हेतु सम्मिलित रूप से जन सहयोग व जन जागृति द्वारा सभी को प्रयास करना चाहिए। तमाम मुश्किलों के बावजूद राष्ट्रीय उद्यानों में इको पर्यटन काफी लोकप्रिय होता जा रहा है। देश के प्रसिद्ध उद्यानों में प्रतिवर्ष लाखों पर्यटक सैर के लिए पहुंचते है। ऐसी स्थिति में वन्य प्राणियों तथा इनकी आवास स्थलियों की सुरक्षा तथा संवर्धन करना बहुत ही आसान हो जायेगा।

जनसाधारण तथा प्रकृति प्रेमियों के लिए वन्य प्राणियों तथा उद्यानों के प्रति बढ़ते आकर्षण को ध्यान में रखते हुए इको पर्यटन का समुचित विकास करें ताकि वन्य प्राणियों के साथ-साथ शरणस्थलियों का संवर्धन हो सके।

जैव विविधता हमारी राष्ट्रीय धरोहर है। वन्य प्राणियों के विनाश से खाद्य श्रृंखला तथा सम्पूर्ण इकोसिस्टम असंतुलित हो जायेगा। इसलिए जीवन एवं मनुष्य की उत्तरजीविता के लिए प्रत्येक जन्तु की सुरक्षा एवं उनका जीवित रहना अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अतः वन्य वाणियों एवं वनों का संरक्षण न सिर्फ सरकार का है बल्कि भारत के प्रत्येक नागरिक का पुनीत कर्तव्य है।

सन्दर्भ

1. सहारिया.बी.बी. वाइल्ड लाइफ इन इंडिया (1981) सर्वे रिपोर्ट डिपार्टमेंट आफ एग्रिकल्चर एन्ड को- ओपरेशन

2. नेगी एस.एस.भारत के राष्ट्रीय उद्यान (2002) इन्डस प्रकाशन कम्पनी, नई दिल्ली पृ.क्र.26-27

3. बिष्ट राजेन्द्र सिंह, भारत के राष्ट्रीय उद्यान (2001) प्रकाशन विभाग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ.क्र.45-46.